केन्द्रीय बजट 2026-27 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करेगा : तोमर

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 5 फरवरी। केन्द्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। यह बजट सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास की भावना को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला, जनकल्याणकारी और समावेशी बजट है। यह विचार शिवपुरी जिले के प्रभारी एवं मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गीता पब्लिक स्कूल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए।

प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस बजट में गरीब, किसान, महिला और युवा—इन चारों स्तंभों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। यह बजट कृषि, ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने वाला है।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट देश की जनता के प्रति सरकार के कर्तव्यों को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया के नेतृत्व में सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर जनता के हित में कार्य कर रही है। प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि यह बजट एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही बायोफार्मा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश से मध्यप्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसरों पर विशेष फोकस किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि गंभीर बीमारियों एवं चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट दिए जाने से स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुलभ एवं सस्ती होंगी। करों में राहत, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भरता और नवाचार को प्रोत्साहन देने वाला यह बजट समग्र रूप से समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखता है। यह बजट जनता का, किसानों का और युवाओं का बजट है। पत्रकार वार्ता का स्वागत भाषण जिला महामंत्री योगेन्द्र रघुवंशी ने दिया। इस अवसर पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी मुकेश जैन ने जानकारी दी कि केन्द्रीय बजट के प्रचार-प्रसार हेतु जिला महामंत्री योगेन्द्र रघुवंशी को प्रभारी तथा जिला मंत्री नीरज सिंह तोमर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों के प्रति आभार जिला मीडिया प्रभारी मुकेश जैन द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री लवलेश जैन, के.पी. परमार, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हरवीर रघुवंशी, सांसद प्रतिनिधि राकेश गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष गिर्राज शर्मा, विपुल जैमिनी, जिला मंत्री नीरज तोमर, प्रशांत राठौर, ऋतिक गर्ग, कुलेन्द्र जैन सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मगरौनी में राम जानकी स्टेडियम की शासकीय भूमि का सीमांकन पूरा

नवभारत न्यूज

नरवर 5 फरवरी। मगरौनी नगर परिषद क्षेत्र स्थित राम जानकी स्टेडियम की शासकीय भूमि का प्रशासन द्वारा सीमांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्षों से स्टेडियम की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। सीमांकन के बाद शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सीमांकन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पूर्व विधायक लखन सिंह बघेल द्वारा स्टेडियम की भूमि पर कब्जा किया गया था। राजस्व विभाग की टीम द्वारा किए गए सीमांकन में उनके कब्जे वाले हिस्से में लगभग 20 से 25 फीट भूमि स्टेडियम की शासकीय भूमि पाई गई। हैरानी की बात यह है कि उक्त भूमि पर वर्तमान में भी गेहूं की फसल बोई गई है। राम जानकी स्टेडियम के सौंदर्यीकरण एवं विकास की प्रक्रिया भी प्रारंभ होने जा रही है। करैरा विधायक रमेश प्रसाद खटीक के प्रयासों से स्टेडियम विकास के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नगरवासियों की लंबे समय से मांग रही है कि स्टेडियम की लगभग सात बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर खेल गतिविधियों के लिए विकसित किया जाए। सीमांकन के दौरान कानून व्यवस्था

अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज

बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मौके पर करैरा एसडीएम अनुराग निगवाल, करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़, नरवर तहसीलदार संतोष धाकड़, नरवर थाना प्रभारी विनय यादव, नगर परिषद सीएमओ गोपाल कृष्ण गुप्ता सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी ने भी राम जानकी स्टेडियम की शासकीय भूमि पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

कृषि रथ से किसानों को दी मूंग की जगह मूंगफली व उड़द बोने की सलाह

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 5 फरवरी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में जिले के समस्त विकासखंडों में कृषि रथों का संचालन किया जा रहा है। कृषि रथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार प्रतिदिन प्रत्येक विकासखंड की तीन ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दे रहा है।

कृषि रथ के माध्यम से कृषि विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ पशुपालन, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी एवं मत्स्य पालन विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है।

इसी क्रम में विकासखंड कोलारस के ग्राम मोहराई में आयोजित कृषि रथ कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि पान सिंह करौरिया ने उपस्थित किसानों को मूंग के स्थान पर मूंगफली एवं उड़द फसल लगाने की सलाह दी। उन्होंने किसानों को वर्तमान में बारिश एवं ओलावृष्टि से संभावित फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने तथा टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दर्ज कराने की अपील की। कृषि रथ भ्रमण के दौरान शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे किसानों में योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

आईजी ने किया शिवपुरी जिले का वार्षिक पुलिस निरीक्षण

पुलिस सम्मेलन में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान, परेड व बलवा ड्रिल का किया अवलोकन

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 5 फरवरी। पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना ने गुरुवार को जिला शिवपुरी का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी तथा पुलिस लाइन एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।

निरीक्षण की शुरुआत पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से हुई, जहां आईजी द्वारा परेड की सलामी ली गई तथा परेड का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उत्कृष्ट वेशभूषा एवं अनुशासन प्रदर्शित करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इसके पश्चात बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें ड्रिल पार्टियों द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया।

परेड एवं बलवा ड्रिल के उपरांत पुलिस सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गईं तथा उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए रचनात्मक सुझावों को क्रियान्वयन के लिए पुलिस मुख्यालय भेजे जाने की जानकारी दी गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आईजी ने वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में साइबर अपराध, महिलाओं से संबंधित अपराधों तथा तकनीक आधारित अपराधों की चुनौती पर प्रकाश डालते हुए पुलिसकर्मियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनने एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस लाइन शिवपुरी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आर्म्स शाखा, एमटी शाखा, स्टोर शाखा सहित अन्य शाखाओं का अवलोकन किया गया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में संधारित रिकॉर्ड सुव्यवस्थित पाए जाने पर प्रशंसा व्यक्त की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विश्व कैंसर दिवस पर साहस की मिसाल बनी नीलम रावत का सम्मान

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 5 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर शिवपुरी की सामाजिक संस्था शक्ति शाली महिला संगठन द्वारा बैराड़ निवासी नीलम रावत (35 वर्ष)

जागरूकता का दिया संदेश

का उनके निवास पर पहुंचकर सम्मान किया गया। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग जीतकर जीवन की नई शुरुआत करने वाली नीलम रावत के अदम्य साहस, सकारात्मक सोच और संघर्षशील जज़्बे को नमन करते हुए संस्था ने उन्हें शाल, श्रीफल, उपहार एवं पौधा भेंट किया।

संस्था के संयोजक रवि गोयल ने कहा कि नीलम रावत आज समाज के लिए प्रेरणा का प्रतीक हैं। उन्होंने न केवल बीमारी का डटकर सामना किया, बल्कि यह साबित किया कि मजबूत इच्छाशक्ति, सही इलाज और परिवार का सहयोग किसी भी कठिन परिस्थिति को परास्त कर सकता है।

जानकारी के अनुसार 21 अगस्त को पहली बार जांच रिपोर्ट में नीलम रावत को ब्लड कैंसर होने की पुष्टि हुई थी। यह खबर परिवार के लिए बेहद कठिन थी, लेकिन नीलम रावत ने हिम्मत नहीं हारी। नियमित उपचार और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने इस बीमारी को मात दी। उनका इलाज भोपाल स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कैंसर विशेषज्ञ विजय भार्गव के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पूरे संघर्ष के दौरान उनके पति सतपाल सिंह रावत ने सभी जांच और उपचार की व्यवस्था कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवार के अन्य सदस्यों में बाबूलाल रावत, सरवदी रावत, अवनीश रावत, आशा रावत तथा सत्येंद्र सिंह रावत । निरंतर सहयोग और मनोबल भी उन्हें इस लड़ाई में मजबूती देता रहा।

इस अवसर पर रवि गोयल ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार जागरूकता, समय पर जांच और सकारात्मक सोच है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें और तंबाकू व अस्वस्थ जीवनशैली से दूरी बनाए रखें। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर जागरूकता, महिला स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और समय पर स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार मिल सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने नीलम रावत के साहस की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद और उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा कैंसर के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

दहेज प्रताड़ना मामले में पति सहित सास-ससुर व देवर दोषमुक्त, न्यायालय का अहम फैसला

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 5 फरवरी। दहेज प्रताड़ना के एक प्रकरण में माननीय न्यायालय ने पति, सास-ससुर एवं देवर को दोषमुक्त करार दिया है। मामले में अभियुक्तगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश मिश्रा एवं प्रदीप यादव एडवोकेट ने प्रभावी पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादिया द्वारा अपने पति, सास-ससुर एवं देवर के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण क्रमांक 563/2024 आरसीटी के तहत दर्ज किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, बचाव पक्ष की ओर से रखे गए ठोस तर्कों एवं न्याय दृष्टांतों पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि अभियोजन आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तगण सास श्याम कुमारी, ससुर रमेश, पति अमित एवं देवर अंकित को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

क्रमांक/ज.वि.सि./2025-26/422 — खण्डवा, दिनांक 21/01/2026

/ / ई - निविदा विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत व्यवस्था में पंजीकृत ठेकेदारो के लिये निम्नलिखित कार्य हेतु निविदाऐ आनलाईन आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	2026_UAD_477254_1	खंडवा शहर में सूरजकुण्ड वार्ड क्रमांक 03 अंतर्गत पहलवान सा बाबा दरगाह के पास से शंकर नगर पुलिया तक पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य।	28.15 लाख	21,113/-	5000/-	15 दिवस

निविदा आनलाईन कय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक :- 23/02/2026 (शाम 5:30 बजे तक)

निविदा खोलने की दिनांक :- 25/02/2026 (प्रातः 10:30 बजे तक)

निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है निविदा में यदि कोई संसोधन होता है तो वह आनॅलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा उसे पृथक से सामाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम खण्डवा

लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोस फाउंडेशन के ब्लॉक अध्यक्ष बने वृजेंद्र सिह

नवभारत न्यूज

नरवर 5 फरवरी। जिला शिवपुरी के ब्लॉक नरवर में लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन के संयोजक अमरपाल सिंह लोधी आईआरएस कमिश्नर भारत सरकारएवं प्रदेश अध्यक्ष आरबीएस नरवरिया के निर्देशन में एवं प्रदेश लक्ष्य संगठन मंत्री अमर सिंह लोधी एवं प्रदेश लक्ष्य संगठन मंत्री महेश सिंह लोधी , लक्ष्य जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश लोधी के मार्गदर्शन में आज लक्ष्य फाउंडेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में नरवर ब्लॉक अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ जिसमें बृजेंद्र सिंह नरवरिया को सर्व सहमति से ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किया गया एवं कार्यकारिणी में ब्लॉक उपाध्यक्ष दीवान सिंह राजपूत, ब्लॉक महिला प्रभारी , नीलम लोधी, संगठन मंत्री हरि ओम लोधी, संगठन सचिव उदयवीर सिंह, ब्लॉक शिक्षा प्रभारी श्रीमती ममता नरवरिया, सचिव रूबी नरवरिया कार्यक्रम में शिवपुरी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश लोधी, बादाम सिंह शिक्षक एवं अतर सिंह राजपूत दूरसंचार विभाग एवं अनेक सामाजिक बंधु उपस्थित रहे।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक/पु.अ./गुना/र.नि./एम.टी./ 23 /2026 — दिनांक 31/01/26

निविदा सूचना

म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) के नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 अवधि हेतु इस कार्यालय के शासकीय वाहनों हेतु टायर एवं टियूब के क्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	सामग्री का विवरण	निविदा शुल्क	अनुमानित व्यय राशि (जीएसटी सहित)	ईएमडी
1	जिला पुलिस बल गुना में उपलब्ध शासकीय वाहनों हेतु टायर-टियूब का क्रय	500/-रू.	290970/-रू.	8730/-रू.

1. निविदा पुलिस अधीक्षक जिला गुना के नाम से बेबसाईट www.mptenders.gov.in पर आनलाईन जमा की जावेगी।
2. निविदा शुल्क एवं ईएमडी ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य है।
3. म.प्र. पुलिस की बेबसाईट www.mppolice.gov.in से निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी डाउनलोड की जा सकती है।

शेड्यूल :-

निविदा पब्लिकेशन दिनांक	दिनांक 02/02/2026 के 12.00 बजे
निविदा डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 02/02/2026 के 12.00 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 23/02/2026 के 12.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 24/02/2026 के 12.00 बजे
निविदा खोले जाने का स्थान	पुलिस लाईन गुना जिला गुना म.प्र.

G-25363/25

पुलिस अधीक्षक
जिला-गुना

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक / खनिज / 2026/1160 — अशोकनगर, दिनांक 03/02/2026

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 (1-क) (1) व 18 (1-क) (2) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए,

द्वितीय सूचना

यह सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शिशुपाल यादव पुत्र श्री जगराम सिंह यादव निवासी ग्राम धौरा तहसील व जिला-अशोकनगर के द्वारा खनिज मुरूम उत्खनिपट्टटा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 18/02/2026 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्ट आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार निजी/अर्द्धनिजी	खनिज का नाम	रिमार्क
अशोकनगर	अ.न.	डोगरा (पछार)	172/1 /1 एस	1.000	शासकीय भूमि	मुरूम	

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से सूचना प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर (कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

G-25358/25

प्रभारी खनि अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला अशोकनगर (म.प्र.)